राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ.10 / खे0 अका0 / भोजन–सी / 2026–27 / रा.क.क्र.सं. दिनांक : (यथाहस्ताक्षर)

RFP No. ...26.... /2025-26

1. M/s Society for Education and Empowerment Training,
   Rajgarh, Churu

Name of work: - Proposes to arrange **food and catering services for the financial year 2026–27** for the **Residential Sports Academies and Sports Schools (Boys and Girls)** operating at various locations, as detailed in **Annexure "G"**.

Under the clause 31 of RTPP Act 2012 and clause 17 of RTPP Rules 2013, you are requested to submit your proposal for the work as follows: -

Name of work	1. Proposes to arrange **food and catering services for the financial year 2026–27** for the **Residential Sports Academies and Sports Schools (Boys and Girls)** operating at various locations, as detailed in **Annexure "G". (Only for two Months or New tender finalisation whichever is earlier)**
Estimated Cost of work	Rs. 40.00 Lac including Goods and Services Tax (Rs. Fourty Lac only)
EMD Amount	80,000/-
Proposal submission End Date/ Time	18-07-2026 Time 12:00 PM
Proposal Opening Date/ Time	18-07-2026 Time 12:30 PM
Work completion period	As per RTPP Rules and required by RSSC Authority

Date:

Secretary
Rajasthan State Sports Council
Jaipur (Rajasthan)

RajKaj Ref No.: 23391366

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17 10:55:28 IST

v-1.0

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Annexure "I"

प्रतिबंध एवं शर्ते

1. वित्तीय बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से बंद लिफाफे में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में जमा करवानी होगी।

2. बोलीदाता को आवासीय खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु अनुमानित लागत **Annexure-"G"** के अनुसार 2 प्रतिशत बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। बयाना राशि प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होंगे।

3. बोलीदाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरे सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय, सायं का ज्यूस, एवं रात्रि भोजन की पृथक–पृथक ऑनलाईन अंकित की जानी चाहिए।

4. बोलीयां उनके खोले जाने की दिनांक से 2 माह अथवा नई निविदा में कार्यादेश दिये जाने की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।

5. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे पर नहीं देगा।

6. बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

7. **बयाना राशि :–**

(क) बोलीदाता को खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु अनुमानित लागत **Annexure-"G"** के अनुसार 2 प्रतिशत बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ख) बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहीत किसी करार को निष्पादित नहीं करता हो।

(iii) जब बोलीदाता निविदा के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।

(iv) जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

8. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 1 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 500/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कराना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयां स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करायी जायेगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति/बयाना राशि के लिये समायोजित कर लिया जावेगा।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया में नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

9. प्रतिभूति/बयाना राशि का समपहरण :– प्रतिभूति/बयाना राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :–

(i) जब संविदा की शर्तों का उल्लघन किया गया हो।

(ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल हो।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

10. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार, सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।

11. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद् का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

12. बोलीदाता द्वारा शर्तों के उल्लघन करने पर अनुपातिक रूप से ठेके की राशि में से कटौती की जावेगी।

13. बोलीदाता को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर, बिक्रीकर/जीएसटी या अन्य करों की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।

14. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्तें आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

15. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलायें किसी भी बोली को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

16. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

17. अवधि के दौरान **Annexure-"G"** में अंकित आवासित खिलाड़ियों को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन व्यवस्था की संख्या में कमी या वृद्धि यथा आवश्यकता की जा सकती है परन्तु ऐसी कमी या वृद्धि का प्राप्त बोली की दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वास्तविक उपस्थित संख्या के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।

18. निर्धारित भोजन मीनू में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में सुरक्षित है।

19. संस्था से भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। भोजन कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नही होना चाहिए। भोजन कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित पोशाक में परिचय पत्र धारण कर उपस्थित रहेगे। बाल मजदूरी निषेध रहेगी।

20. भोजन बनाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली आवश्यक गैस की भट्टी, गैस सामग्री आदि की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी। अतः समेकित दर खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने की दरें मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, भट्टी की मरम्मत—रखरखाव, खाना बनाने के बर्तन, पानी एकत्र करने के बर्तन, खाने के बर्तन, क्राकरी—कटलरी, बर्तन धोना एवं अन्य आवश्यक उपयोगी बर्तन मय समस्त करों एवं अनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावें। गैस सिलेण्डर नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी का उपयोग लेना सुनिश्चित करें।

21. खिलाड़ियों हेतु दोनों समय चाय, नाश्ता, भोजन बनाना, बनाने—खाने के बर्तनों की सफाई एवं परोसने आदि कार्य करने होंगे। बनाने एवं खाने के बर्तनों की साफ—सफाई पूर्ण स्वच्छता से कर साफ कपड़े से पौछकर परोसनी होगी।

22. बोलीदाता को रसोई कक्ष, भोजन स्थल पर पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।

23. भोजन व्यवस्था खिलाडियों के लिए टेबिल पर सर्व करनी होगी।

24. **गुणवत्ता में अतिउत्तम एगमार्क सर्टिफाईड एवं FSSAI Approved खाद्य सामग्री काम में ली जानी आवश्यक होगी। खाद्य सामग्री Suggestive Brands जो कि Annexure-"H" पर संलग्न है के अनुसार ही काम में ली जावेगी। दूध गोल्ड फुल क्रीम का होगा।**

25. **भोजन की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझोता नहीं किया जावेगा। खाने में अतिउत्तम गुणवत्ता एगमार्का तेल, घी व मसाले को ही प्रयोग में लाना होगा। परिषद कार्यालय के अधिकारी द्वारा तैयार भोजन/कच्चा माल निर्धारित मानक स्तर से निम्न स्तर का पाये जाने पर परिषद अधिकारी के निर्देशानुसार तुरन्त संबंधित स्थान से हटाना होगा एवं अनुमोदित बोलीदाता उच्च स्तर का तैयार भोजन तत्काल उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस हेतु उस दिन विशेष का कोई भुगतान बोलीदाता को देय नहीं होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित बोलीदाता की होगी तथा गुणवत्ता एवं मीनू अनुसार भोजन व्यवस्था नहीं करने पर Annexure-"I" पर प्रस्तुत बिन्दूओं के आधार पर संवेदक के विरूद्ध शास्ती आरोपित की जावेगी।**

26. अनुमोदित बोलीदाता भोजन हेतु आवश्यक कच्चे माल यथा आटा, मसाले, तेल इत्यादि की माह में दो बार परिषद के अधिकारी से चैक कराने हेतु बाध्य होगा।

27. भोजन की व्यवस्था बालक अकादमी एवं बालिका अकादमी दोनों में ही अलग—अलग करनी होगी एवं बोलीदाता को बालकों एवं बालिकाओं की संख्या यथा समय अवगत करा दी जायेगी।

28. बालिका अकादमी में महिलाकर्मी एवं बालक अकादमी में पुरूषकर्मी को ही भोजन कार्य हेतु लगाया जावेगा।

29. भोजन बनाने व परोसने में स्वच्छता के मापदण्डों का पालन किया जायेगा। किसी कारण खाद्य अपमिश्रण (रोकथाम) अधिनियम 1955 के तहत मास फूड पॉयजनिंग जैसी घटना कारित होती है तो बोलीदाता इसके लिए सम्पूर्ण रूप से न्यायालय/उपभोक्ता न्यायालय संबंधित वाद के लिए जिम्मेदार होगा।

30. सफल बोलीदाता को **Annexure-"G"** में अंकित सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों में भोजन व्यवस्था हेतु एक दर प्रस्तुत करनी होगी एवं इन सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों में अलग–अलग स्थानों पर कमेटी के निर्देशानुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी। सफल बोलीदाता के पास **Annexure-"G"** में अंकित किसी भी खेल अकादमी/खेल स्कूल में भोजन व्यवस्था हेतु मना करने का अधिकार नहीं होगा। मनाही करने पर सफल बोलीदाता पर नियमानुसार ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

31. भोजन कार्यो का विवरण में दिये गये भोजन कार्य को करते समय यदि किसी भोजन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि का भार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

32. यदि कर्मचारियों के पारिश्रमिक से विधि एवं उसमें नियमानुसार किसी प्रकार भी कटौती की जानी है तो इस प्रकार की कटौती को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। बोलीदाता को श्रम एवं रोजगार विभाग के सभी नियमों का पालन करना होगा।

33. टेण्डर अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हडताल की जाती है और संस्था इस अवधि में भोजन कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था पर की गयी व्यय राशि बोलीदाता से वसूलनीय होगी। यह राशि बोलीदाता के बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। इसके उपरान्त भी राशि शेष रहती है तो बोलीदाता जमा कराने को बाध्य होगा।

34. बोलीदाता द्वारा अपने भोजन कर्मचारियों की हाजरी online रहेगी। बोलीदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। उनका पुलिस विभाग से सत्यापन पश्चात् अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।

35. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसोई की सफाई एवं कचरे का उचित प्रकार से निस्तारण व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के चाल–चलन, चरित्र आदि के संबंध में स्वंय जिम्मेदार होगा। **सभी वेटर एक निश्चित ड्रेस** में उपस्थित रहेगे एवं निर्देशानुसार कार्य करेंगे। ड्रेस उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रमण रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

36. भोजन स्थल पर **आरओ** की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी।

37. कार्य समाप्ति के पश्चात् बोलीदाता द्वारा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। किसी भी सूरत में अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।

38. अकादमियों के भोजन की दरों का मीनू अनुसार ब्रेक–अप दिया जाना आवश्यक होगा।

39. संवेदक को भोजन स्थल पर सीसीटीवी की व्यवस्था करनी होगी जिसका डिसप्ले अध्यक्ष महोदय के कक्ष में करना हेागा। साथ ही खिलाडियों की उपस्थिति हेतु Thumb Impression Attendance Machine की व्यवस्था करनी होगी।

40. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जावेगी। अन्यत्र नहीं की जायेगी।

41. बोलीदाता द्वारा निर्धारित मीनू को एक फ्लेक्स बोर्ड पर भोजन पाण्डाल के बाहर आसानी से दर्शित होने वाले स्थान पर लगाना होगा। फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगाने पर प्रति अवसर रू. 500/– की कटौती आरोपित की जावेगी। खिलाडियों के फीडबैक फॉर्म के आधार पर ही संवदेक को भुगतान किया जायेगा। खिलाडियों द्वारा ऑनलाईन साप्ताहिक रूप से फीडबैक प्राप्त किया जायेगा। अकादमी के कुल खिलाडियों की संख्या में आनुपातिक आधार पर शिकायत प्राप्त होने पर आनुपातिक रूप (जैसे 5 प्रतिशत खिलाडियो द्वारा शिकायत करने पर 5 प्रतिशत भुगतान मे कटौती)से भुगतान राशि मे से कटौति की जायेगी। संबधित जिला रसद अधिकारी द्वारा भोजन गुणवत्ता का निरीक्षण किया जायेगा।

42. बोलीदाता द्वारा परिषद की किचन का किसी भी प्रकार से वाणिज्यक उपयोग नहीं किया जायेगा। अकादमी में तैयार की गई भोजन सांमग्री का बहार विक्रय नहीं किया जावेगा।

43. यदि बोलीदाता संतोषप्रद भोजन सामग्री यथा आवश्यकता व अवधि में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो **परिसमापित नुकसानी** की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत वसूलनीय होगी।

- **परिसमापित नुकसानी** – परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	– 2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	– 5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए	– 7.5%
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिए	– 10%

- प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
- परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

44. वसूली – परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फुट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फुट, रद्द की गई वस्तुओं की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त की अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

45. संवेदक को प्रत्येक माह के अन्त में भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय प्रभारी/अकादमी द्वारा गठित खिलाडियों की भोजन समिति द्वारा प्रमाणिकरण करवाया जाकर बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।साथ ही उक्त कमेटी को 15 दिवस में बदलना होगा।

46. संवेदक द्वारा लगाये गये मैनपॉवर की सूची मुख्यालय पर उपलब्ध करवायी जावेगी। अकादमी में किसी भी प्रकार शिकायत परिषद के ऑनलाईन पोर्टल पर की जा सकेगी।

47. Specific Need:- Capacity to provide special meals or athletics Ex. Pre-post training snacks and recovery meal.

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

48. संचालित खेल अकादमियों में भोजन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मैनपॉवर लगाया जाना अनिवार्य होगा :–

Type of Manpower	Minimum Manpower (0-40 Girls/Boys)	Minimum Manpower (40-80 Girls/Boys)
Cook	1	2
Assistant Cook	-	1
Helper	2	3
Housekeeping/Washer	2	3
Total	**5**	**9**

49. भविष्य में शुरू होने वाले नवीन खेल स्कूल/खेल अकादमियों की भोजन व्यवस्था किये जाने हेतु निविदा में अनुमोदित दरों पर कार्यादेश दिया जा सकेगा।

50. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शेष शर्ते भी लागू होगी।

उपरोक्त भोजन कार्य संबंधी शर्ते मैने/हमने पढ ली है, और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर ई–बोलीदाता मोबाईल नम्बर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Terms & Conditions :-

1. Proposal Procedure: Single-stage: Single envelop Bid procedure
2. Bidder (Authorised Signatory) shall submit financial Proposal in prescribed format.
3. RSSC will not be responsible for delay in submission due to any reason. For this, bidder is requested to submit complete bid well advance in time so as to avoid any issues or any other unforeseen problems.
4. The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject the Bid.
5. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
6. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidder to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidder to prepare a logical bid-proposal.
7. Payment shall be made in accordance with the progress of work and the decision of the competent authority.
8. The provisions of RTPP Act 2012 & RTTP Rules 2013 especially rule17(1) under section 31 shall be applicable in this proposal.

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17
10:55:28 IST

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

FINANCIAL BIDS

1. बोलीदाता का नाम...
2. डाक का पता ....

....

....

3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)......................................
(निवास) ....
(पैन नं0) ....

भोजन व्यवस्था के लिये निर्धारित मीनू **Annexure-"F"** के अनुसार दरें निम्न प्रकार होगी।

FORMAT FOR PRICE QUOTATIONS OF ITEMS

क्र. सं.	देय भोजन का विवरण	प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन	राशि रूपये	
			अंको में	शब्दों में
1	प्रातः अभ्यास से पहले(बादाम,खजूर,केला)	1		
2	प्रातः अभ्यास के दौरान (लेमोनेड)	1		
3	प्रातःकाल का नाश्ता	1		
4	दोपहर का भोजन	1		
5	सांय अभ्यास से पहले(2 केले)	1		
6	सांय अभ्यास के दौरान (लेमोनेड)	1		
7	सांय का ज्यूस एवं पनीर/ऐग बूर्जी	1		
8	प्रातः एवं रात्री का दूध 750ML	1		
9	रात्रि का भोजन	1		
कुल राशि प्रति खिलाड़ी/प्रतिदिन रूपये (समस्त कर सहित)				

बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

मय मोहर

RajKaj Ref No.:
23391366

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17
10:55:28 IST

v-1.0

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Annexure "G"

क्रीडा परिषद द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमियां/खेल स्कूलों (बालक/बालिका वर्ग) हेतु वर्ष 2026–27 में स्वीकृत खिलाडियों की संख्या मय बयाना राशि

ग्रुप	क्र.सं.	खेल अकादमी/खेल स्कूल	स्थान	स्वीकृत संख्या	कुल अनुमानित संख्या
सी	1	बालक कुश्ती अकादमी	भरतपुर	30	470
	2	बालक हैण्डबाल अकादमी	जैसलमेर	30	
	3	बालक बास्केटबाल अकादमी	जैसलमेर	40	
	4	बालक फुटबाल अकादमी	जोधपुर	60	
	5	बालक साईक्लिंग अकादमी	बीकानेर	30	
	6	आवासीय बालिका खेल संस्थान **(प्रस्तावित)**	भरतपुर	100	
	7	बालक–बालिका एथले. अकादमी,राजगढ़,**(प्रस्तावित)**	चूरू	100	
	8	बालक–बालिका कबड्डी	राजगढ़, चूरू	50	
	9	बालक बास्केटबाल अकादमी, **(प्रस्तावित)**	बाड़मेर	30	

नोटः– 1. बोलीदाता द्वारा उक्त सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु एकजाई निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

2. निविदा में सफल होने पर उक्त सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों में भोजन व्यवस्था करनी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदादाता का नाम ——————————

RajKaj Ref No.: 23391366

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17 10:55:28 IST

v-1.0

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Annexure "H"

Suggested Brands of all major food items

S.No.	ITEMS	BRAND
1	Salt	Tata, Annapurna, Everest, Surya, Nature fresh
2	Spices	MDH, Badshah, Everest, Tata, Catch, Sunrise, Ashirwad
3	Ketchup	Maggi, Kissan, Heinz
4	Oil	Sunflower, Saffola, Fortune, Dhara, Sona Sikka
5	Pickle	Mother's recipe, Priya, Nilons
6	Atta/Besan/ Maida/Suji	Ashirvad,Shaktibhog, Laxmibhog,
7	Dal/Dalhan	Tata, Harvest
8	Rice/Poha	India Gate, Dawat, Best, Kohinooor, Basmati (branded)
9	Papad	Lijjat, Bikaji
10	Butter	Amul, Britannia, Saras
11	Bread	Star, Kalory, Harvest, Modern, Britannia, Wibs
12	Corn Flakes/ Cereal Flakes	Mohans, Kellogg's
13	Jam	Kissan, Maggi, Tops, sil , mapro
14	Ghee	Amul, Mother Dairy, Britannia, Saras, Everyday, Milk food
15	Milk/Curd	Saras, Amul, Mother Dairy pasteurized dairy whole milk full cream
16	Paneer/Cheese	Amul, Saras, Mother dairy
17	Tea	Brook Bond, Lipton, Tata, Wagh Bakri, Taj Mahal
18	Sugar	Uttam, Madhur, Harvest
19	Coffee	Nescafe, Bru, Green label
20	Ice cream	Amul, Vadilal, Havmor
21	Biscuits	Parle, Britannia, Marie, Monaco, good day, Krackjack, cream, bourbon
22	Fruit juice (Packed)	Tropicana , Real
23	Chicken	1st Quality
24	Oats	Quaker, Saffola, Baggry's, Kellogs
25	Frozen yoghurt	Amul, Saras, Mother dairy
26	Soyabeans	Nutrela
27	Frozen peas	Safal (off season)
28	Cheese	Amul, mother dairy, Britannia
29	Dry Fruits	1st quality
30	Mutton	Best quality
31	Fish	Best quality
32	Eggs	Bes quality or sources and variety proposed by the vendor and approved by the committee
33	Dalia	Ashirvad, Patanjali, Shaktibhog, Aahar, Pillsbury, Annapurna
34	Vegetables (Starch & Non-Starchy)	Fresh and of 1st quality
35	Awla Murbba	1st Quality Big Size

RajKaj Ref No.: 23391366

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17
10:55:28 IST

v-1.0

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Menu Chart

साप्ताहिक भोजन मैन्यू

Days	Before Morning Practice (05:40am to 06:00am)	During practice	Breakfast (8:30am to 9:30am)	Lunch (12:00pm to 1:00pm)	Before Practice (04:00pm)	During Practice	After Practice (6:30pm)	Dinner (8:.00pm to 9:30pm)	After Diner (10:00 pm)
Monday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	4 Atta Breads + Peanut Butter 2 Tbsp (20 gm), Panner Bhurjee 100 gm/ 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes, Sprouted Gram 50 gm.	Bajra ke Chapati, Jeera Rice, Soybean Dal, Salad, 250 gm Curd/500 ml Butter Milk, Pickle, Curry Pakoda, Salad, Fruits 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Egg/Raw Paneer Cubes - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Ghee Chapati, Plain rice, Rajma curry, Seasonal Vegetable, Salad,	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Tuesday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Vegetable Poha, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, cornflakes, Sprouted Mix 50 gm.	Wheat Chapati, Veg pulao, Mixed Dal,250 gm Curd/200 gmYogurt, Pickle, Papad, Seasonal green leafy Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Soyachunks Bhurjee - 100 gm	Bajra ki Chapati, Tomato rice, Chicken 250 gm or Chickpea Curry, Ahrar dal, Salad, Rasgulla 2 Pieces	High protein milk shake 250 ml
Wednesday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Dalia vegetables khichdi, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes 50 gm Sprouted.	Makki ke Chapati, Plain rice, Rajma Curry, Salad, 250 gm Curd/500 ml Butter Milk , Pickle, Seasonal Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Egg/ Raw Paneer Cubes - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Wheat chapati, Veg pulao, 150 gm of Paneer or 250 gm of Chicken, Mixed dal, Salad,	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Thursday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Oats milk porridge, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee),500 ml Milk, Cornflakes, Sprouted Mix Gram 50 gm.	Wheat Chapati, Lemon rice, Bengal Gram Dal, Papad, Salad, , 250 gm Curd/200 gm Yogurt, Pickle, Seasonal Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Soyachunks Bhurjee - 100 gm	Makki ki chapati, Plain rice, Black Channa curry, Basan Gatte Ki Sabji, Rajma curry, Salad, Kheer.	High protein milk shake 250 ml

RajKaj Ref No.:
23391366

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17
10:55:28 IST

v-1.0

Friday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	4 Atta Breads + Peanut Butter 2 Tbsp (20 gm), Panner Bhurjee 100 gm/ 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes, Sprouted Gram 50 gm.	Bajran chapati, Ghee Rice, Moong Lentil Dal, Salad ,250 gm Curd/500 ml Butter Milk, Pickle, Soya-Mangodi Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Egg/ Raw Paneer Cubes - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Ghee chapati, Matar rice, Channa dal, 150 gm Paneer with Added Mushroom or 250 gm Chicken, Salad, and 50 gm of Gajar Ka Halwa	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Saturday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Dalia vegetables khichdi, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes 50 gm Sprouted Gram.	Makki ki Chapati, Plain rice, Tur Dal, Salad, , 250 gm Curd/200 gm Yogurt,, Pickle, Seasonal leafy vegetables, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Soyachunks Bhurjee - 100 gm	Bajra ki chapati, Cinnamon rice, 150 gm Paneer or 250 gm Chicken - Masala, Rajma curry, Seasonal Vegetables, Salad.	High protein milk shake 250 ml
Sunday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Potato Parathas, 150 gm of Curd with Chickpeas Sabji, 50 gm of Jalebi and 500 ml of Milk	Wheat Chapati, Veg pulao, Rajma curry, Seasonal Vegetables saute, 250 gm Curd/500 ml Butter Milk, Salad, Papad, Fruits 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Juice 200ml + Egg/ Raw Paneer Cubes- 100 gm (Weight Without Vegetables)	Makki ki chapati, plain rice, Mixed dal, 200 gm Paneer or 250 gm Mutton (Goat), Salad, and 100 gm Sweet (Kesar Bati).	High protein milk shake 250 ml

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदादाता का नाम——————————

RajKaj Ref No.: 23391366

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-07-17
10:55:28 IST

v-1.0